

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
अधिसूचना

संख्या:-04/पर्या०/वन-48/2026-2350/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-30.04.2026

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2026 के नियम 19 के तहत राज्य में पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों के सफल निष्पादन तथा पर्यावरण संबंधी नियमों के प्रवर्तन एवं विभिन्न विभागों/संस्थाओं के मध्य समन्वय हेतु राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1	मुख्य सचिव, बिहार	अध्यक्ष
2	विकास आयुक्त, बिहार	उपाध्यक्ष
3	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार	सदस्य
8	अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना	सदस्य
9	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्रभूमि, बिहार	सदस्य
10	विशेषज्ञ संस्थानों के प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा नामित)	सदस्य
11	उत्तरदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा नामित)	सदस्य
12	सुविधा प्रदाताओं के प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा नामित)	सदस्य
13	सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना	सदस्य सचिव
14	अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित किन्हीं अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि	आमंत्रित सदस्य

राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति के कर्तव्य निम्नांकित होंगे:-

1. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2026 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी करना तथा राज्य स्तर पर कठनाईयों के निराकरण हेतु यथोचित कार्रवाई करना।
2. नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्वद को यथावश्यक सुझाव देना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(आलोक कुमार)

मुख्य वन संरक्षक-सह-विशेष सचिव

05
ज्ञापांक:04/पर्या०/वन-48/2026-2350/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-30.04.2026

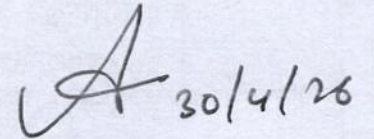
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/नगर विकास एवं आवास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/उद्योग विभाग/अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्रभूमि, बिहार/सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आलोक कुमार)

मुख्य वन संरक्षक-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:04/पर्या०/वन-48/2026-2350/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-30.04.2026

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(आलोक कुमार)

मुख्य वन संरक्षक-सह-विशेष सचिव